

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकिल प्रदाय किया जाना है जिस पर राशि ` 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 30,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 2

कुपोषण मुक्ति अभियान अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/पर्यवेक्षक/परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/कुपोषण मित्र/ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मान दिये जाने हेतु 'नवा-जतन' कार्यक्रम अन्तर्गत राशि ` 38.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 38,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के सामग्री क्रय पर राशि ` 250.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 2,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 4

100 आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर (प्रति भवन ` 4.50 लाख के मान से) राशि ` 450.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 5

06 परियोजना सह-संसाधन केंद्र हेतु भवन निर्माण (प्रति भवन लागत ` 20.00 लाख के मान से) पर राशि ` 120.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 48**  
**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 1**

राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2012-13 में 833 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण ( ` 4.50 लाख की दर से ) हेतु राशि ` 3750.00 लाख का व्यय संभावित है । आंगनवाड़ी केन्द्रों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र	जिले का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			योग-
		रिमार्क			
		सामान्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र	अनुसूचित जाति क्षेत्र	
1	कोरिया	12	13	0	25
2	महासमुन्द	5	0	1	6
3	जांजगीर	10	0	12	22
4	बिलासपुर	48	8	49	105
5	बस्तर	40	52	0	92
6	दुर्ग	38	5	2	45
7	रायपुर	54	5	32	91
8	सरगुजा	60	79	0	139
9	दंतेवाड़ा	23	33	0	56
10	कांकर	15	22	0	37
11	राजनांदगांव	21	4	0	25
12	धमतरी	1	1	0	2
13	रायगढ़	24	17	4	45
14	बीजापुर	16	22	0	38
15	कवर्धा	9	0	0	9
16	नारायणपुर	4	6	0	10
17	कोरबा	17	21	0	38
18	जशपुर	20	28	0	48
<b>योग</b>		<b>417</b>	<b>316</b>	<b>100</b>	<b>833</b>

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 37,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 55  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकिल प्रदाय किया जाना है जिस पर राशि ` 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 2**

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल विकास परियोजनाओं के संचालन के लिए अनुदान हेतु राशि 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 3,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु नवा बिहान योजना पर राशि ` 150.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 2236**

**मद क्रमांक 4**

कुपोषण मुक्ति अभियान अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/पर्यवेक्षक/परियोजना अधिकारी /जिला कार्यक्रम अधिकारी/कुपोषण मित्र/ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मान दिये जाने हेतु “नवा-जतन” कार्यक्रम अन्तर्गत राशि ` 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 5**

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के सामग्री क्रय पर राशि ` 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 4216**

**मद क्रमांक 6**

क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान में छात्रावास एवं कर्मचारी आवास भवन निर्माण पर राशि ` 109.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,09,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 7**

02 परियोजना सह-संसाधन केंद्र हेतु भवन निर्माण (प्रति भवन लागत 20.00 लाख के मान से) राशि ` 40.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 40,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 8**

100 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण पर (प्रति भवन ` 4.50 लाख के मान से) राशि ` 450.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मांग संख्या 64**

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकिल प्रदाय किया जाना है जिस पर राशि ` 26.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 26,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 2236**

**मद क्रमांक 2**

कुपोषण मुक्ति अभियान अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/पर्यवेक्षक/परियोजना अधिकारी /जिला कार्यक्रम अधिकारी/कुपोषण मित्र/ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत एवं सम्मान दिये जाने हेतु नवा-जतन कार्यक्रम अन्तर्गत राशि ` 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 12,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 3**

प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों के उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के सामग्री क्रय पर राशि ` 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 4**

100 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण पर (प्रति भवन ` 4.50 लाख के मान से) राशि ` 450.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

**मद क्रमांक 5**

02 परियोजना सह-संसाधन केंद्र हेतु भवन निर्माण (प्रति भवन लागत ` 20.00 लाख के मान से) पर राशि ` 40.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 40,00,000 का प्रावधान किया गया है।